संख्या-7/2025/वे0आ0-2-239/दस-2025-ई0प0सं0-10-27099/13/2024

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक : 14 मई, 2025**

विषय : वेतन समिति (2016) के द्वितीय प्रतिवेदन (भाग-2) के माध्यम से नेत्र परीक्षण अधिकारी संवर्ग के संबंध में प्रदान की गयी संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के संबंध में।

महोदय,

वेतन समिति (2016) के द्वितीय प्रतिवेदन (भाग-2) के माध्यम से नेत्र परीक्षण अधिकारी संवर्ग के संबंध में दी गयी संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा विचार कर दी गयी संस्तुतियों पर निम्नवत निर्णय लिये गये हैं :--

(1) नेत्र परीक्षण अधिकारी संवर्ग में चारों स्तर पर उपलब्ध पदों पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के लिये दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित सादृश्य वेतन लेवल यथावत् बनाये रखे जाये।

(2) संवर्ग के द्वितीय स्तर पर उपलब्ध वरिष्ठ नेत्र परीक्षण अधिकारी के 50 प्रतिशत पदों पर नेत्र परीक्षण अधिकारी से पदोन्नति द्वारा तथा 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने की व्यवस्था रखी जाये। सीधी भर्ती हेतु बैचलर ऑफ साइंस-आप्टोमेट्री (बी0आप्ट0) की अर्हता निर्धारित की जाये।

(3) नेत्र परीक्षण अधिकारी के वर्तमान में उपलब्ध 751 पदों में से 125 पदों को वरिष्ठ नेत्र परीक्षण अधिकारी में उच्चीकृत कर दिया जाय। उक्त के फलस्वरूप वरिष्ठ नेत्र परीक्षण अधिकारी के 250 पद उपलब्ध होंगे। उक्तानुसार उपलब्ध होने वाले वरिष्ठ नेत्र परीक्षण अधिकारी के 250 पदों में से 125 पद सीधी भर्ती द्वारा तथा 125 पद नेत्र परीक्षण अधिकारी से पदोन्नति द्वारा भरें जायेंगे।

(4) अत: चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में उपलब्ध नेत्र परीक्षण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अधिकारी संवर्ग का ढांचा तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार निर्धारित किया जाये:-

क्र0	पदनाम	दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित वेतन लेवल	भर्ती की प्रक्रिया/अर्हता
1	**नेत्र परीक्षण अधिकारी**	**वेतन मैट्रिक्स लेवल-5 (रू0 29200-92300)**	शत्-प्रतिशत सीधी भर्ती। अर्हता-इण्टरमीडिएट तथा आप्टोमेट्री में 02 वर्ष का डिप्लोमा।
2	**वरिष्ठ नेत्र परीक्षण अधिकारी**	**वेतन मैट्रिक्स लेवल-6 (रू0 35400-112400)**	50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा। अर्हता- बैचलर ऑफ साइंस-आप्टोमेट्री (बी0आप्ट0) 50 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा- नेत्र परीक्षण अधिकारी के 08 वर्ष की सेवा वाले पदधारकों से।
3	**मुख्य नेत्र परीक्षण अधिकारी**	**वेतन मैट्रिक्स लेवल-7 (रू0 44900-142400)**	वरिष्ठ नेत्र परीक्षण अधिकारी के पद पर 06 वर्ष की सेवा अथवा कुल 14 वर्ष की सेवा वाले वरिष्ठ नेत्र परीक्षण अधिकारी के पदधारकों से शत्-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा।
4	**प्रभारी नेत्र परीक्षण अधिकारी**	**वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 (रू0 47600-151100)**	मुख्य नेत्र परीक्षण अधिकारी के पद पर 04 वर्ष की सेवा अथवा कुल 18 वर्ष की सेवा वाले मुख्य नेत्र परीक्षण अधिकारी के पदधारकों से शत्-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा।

2- प्रशासकीय विभाग द्वारा उपर्युक्त संशोधित व्यवस्थाओं का समावेश यथाशीघ्र संगत सेवा नियमावली में कर लिया जाये।

3- कृपया उपर्युक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

दीपक कुमार,

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-7/2025/वे0आ0-2-239(1)/दस-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

(2) कार्मिक नियमावली सेल।

आज्ञा से,

पुष्पराज,

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in